



# दिव्यांगों (people with disabilities: PwDs) की सामाजिक न्याय तक पहुंच के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं

- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य विश्व भर की न्याय प्रणालियों तक दिव्यांगों की पहुंच को सुगम बनाना है। इन दिशा-निर्देश में 10 सिद्धांतों के एक समुच्चय की रूपरेखा तैयार की गई है तथा उनके कार्यान्वयन के लिए चरणों का विवरण दिया गया है (बॉक्स देखें)।

› दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभियान (Convention on Rights of Persons with Disabilities: CRPD) दिव्यांगता के संदर्भ में न्याय तक पहुंच के अधिकार को लागू करता है। भारत CRPD का एक हस्तांकरकर्ता राष्ट्र है।

## ○ PwDs के समक्ष बाधाएं।

- मानवांश संबंधी (विधिक या नीतिगत) अवरोध: कई कानूनों में इनके अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया गया है अथवा विधि, नीति या कार्यप्रणालियां, CRPD प्रावधानों के विपरीत हैं।
- मनोवृत्तिक अवरोध: पुलिस, अधिकारीयों, न्यायाधीशों आदि की ओर से नकारात्मक वृष्टिक्रोण और भ्रांतिपूर्ण धारणा।
- सूचना और संचार अवरोध: सुगम्य प्रारूपों में प्रदत्त सूचना तक सीमित पहुंच, उदाहरण के लिए— किसी के अधिकारों से संबंधित शैक्षिक सामग्री तक पर्याप्त पहुंच न होना।
- भौतिक अवरोध: सुगम भौतिक परिवेश का अभाव, जिसमें न्यायालय, पुलिस स्टेशन और अधिकारीयों के कार्यालय भी शामिल हैं।

## ○ भारत और दिव्यांगता:

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के तहत PwDs के लिए उच्च शिक्षा (5 प्रतिशत से कम नहीं) व सरकारी नौकरियों (4 प्रतिशत से कम नहीं) में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- PwDs को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सुगम्य भारत अभियान का संचालन किया गया है।
- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दिव्यांग व्यक्ति भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के कोटे के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

## संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देशों में वर्णित 10 सिद्धांत:

- किसी भी व्यक्ति को दिव्यांगता के आधार पर न्याय तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।
- न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं और सेवाएं सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।
- दिव्यांगजनों को उपयुक्त प्रक्रियात्मक व्यवस्था की उपलब्धता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
- दिव्यांगजनों को कानूनी नोटिस और सूचना को समय पर एवं सुगम तरीके से प्राप्त करने का अधिकार मिलाना चाहिए।
- उन्हें अन्य लोगों के समान आधार पर अंतरराष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त सभी मूल और प्रक्रियात्मक रक्षापार्यां का स्वत्वाधिकार (Entitled) प्राप्त होना चाहिए।
- उन्हें निशुल्क या बहनीय विधिक सहायता का अधिकार होना चाहिए।
- वे न्यायिक प्रशासन में मागीदारी करने हेतु भी अधिकृत होने चाहिए।
- उन्हें मनवाधिकारों के उल्लंघन और अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने तथा कानूनी कार्यवाही आरंभ करवाने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच में सहायता करने के लिए एक प्रभावी और सुदृढ़ निगरानी तत्र होना आवश्यक है।
- दिव्यांगजनों को सबैधित करते हुए न्याय प्रणाली में कार्यरत सभी लोगों के लिए जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाना चाहिए।

## अन्य सुर्खियाँ

आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance: ODA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>जापान ने भारत को कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता (COVID-19 Crisis Emergency Response Support) के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण (ODA) प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की है।</li> <li>ODA को सरकारी सहायता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया है।</li> <li>भारत और जापान के मध्य वर्ष 1958 में आर्थिक सहयोग साझेदारी को प्रारंभ किया गया था। हालांकि इस सहयोग की शुरुआत ODA ऋण (ODA Loan) के द्वारा हुई थी, जो कि जापान द्वारा किसी देश को प्रदत्त प्रथम ODA था।</li> </ul>
भारत, फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग (India, France space collaboration)	<ul style="list-style-type: none"> <li>भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियाँ 'गगनन्यान' के अंतरिक्ष यात्रियों को आवश्यक उपकरण प्रदान करने के संदर्भ में वार्ताओं के अंतिम चरण में हैं। <ul style="list-style-type: none"> <li>ये उपकरण, फ्रांस द्वारा मिशन अल्फा (Mission Alpha) के लिए प्रयुक्त उपकरणों के समान होंगे।</li> </ul> </li> <li>इसरो (ISRO) द्वारा नियोजित गगनन्यान मिशन का उद्देश्य, वर्ष 2022 तक तीन सदस्यीय दल को पांच से सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजना है।</li> </ul>
आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक (ICI) {Index of Eight Core Industries (ICI)}	<ul style="list-style-type: none"> <li>जुलाई, 2020 माह के लिए आठ कोर उद्योगों के संयुक्त सूचकांक (ICI) को जारी किया गया है। इसके अनुसार अप्रैल से जुलाई 2020-21 के दौरान इन उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि-20.5 प्रतिशत रही है।</li> <li>ICI वस्तुतः चयनित आठ कोर उद्योगों के उत्पादन स्तर का मापन करता है। यथा— उच्चतम से निम्नतम तक भारिता के क्रम में: रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट तथा उर्वरक उद्योग।</li> <li>यह मासिक रूप से जारी किया जाने वाला एक उत्पादन परिमाण सूचकांक (production volume index) है।</li> <li>संकलन एवं जारीकर्ता: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय (Office of the Economic Adviser, OEA) द्वारा।</li> <li>आधार वर्ष: 2011-12</li> </ul>
विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष (World's Largest Solar Tree)	<ul style="list-style-type: none"> <li>सौर वृक्ष (Solar tree) विशेषकर धातु संरचनाओं से निर्भित होते हैं, जिसके शीर्ष पर वृक्ष की शाखाओं के समान सौर पैनल लगे होते हैं। <ul style="list-style-type: none"> <li>एक सौर वृक्ष दस से बारह टन तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है।</li> </ul> </li> <li>इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR-CMERI) द्वारा विकसित किया गया है। इसे दुर्गापुर में स्थापित किया गया है।</li> <li>इसकी संस्थापित क्षमता 11.5 kWp (किलोवाट पीक) से अधिक है।</li> </ul>
पंगोंग त्सो झील (Pangong Tso Lake)	<ul style="list-style-type: none"> <li>पंगोंग त्सो एक लवणीय झील है, जो आंशिक रूप से भारत के लद्दाख क्षेत्र में तथा अंशिक रूप से तिब्बत में स्थित है।</li> <li>इस झील के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर चीन का अधिकार है, जबकि लगभग 45 कि.मी. का क्षेत्र भारत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है।</li> <li>ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत में विस्तारित कराकोरम पर्वत शृंखला की सीमा इस झील के उत्तरी तट पर समाप्त हो जाती है।</li> </ul>
दुर्लभ रेनाटी चोल अभिलेख की प्राप्ति (Rare Renatichol inscription unearthed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>इस अभिलेख की प्राप्ति आंध्र प्रदेश के कड़पा (Kadapa) जिले में हुए अन्वेषण के दौरान हुई है। यह पुरातत्व तेलुगू भाषा में लिखा गया है। <ul style="list-style-type: none"> <li>इस अभिलेख पर एक ब्राह्मण को उपहारस्वरूप प्रदान की गई छह मार्टटस (भूमि मापन की इकाई) भूमि के साह्य को उत्तरीर्णित किया गया है।</li> </ul> </li> <li>इसे 8वीं शताब्दी ईस्टी के आसपास प्रदान किया गया था, उस दौरान इस क्षेत्र पर रेनाटू के चोल महाराजा का शासन था। <ul style="list-style-type: none"> <li>रेनाटू के तेलुगू चोल (जिन्हें रेनाटी चोल भी कहा जाता है) द्वारा रेनाटू क्षेत्र पर शासन किया गया था, जो वर्तमान में कड़पा जिले में स्थित है।</li> </ul> </li> <li>वे मूल रूप से स्वतंत्र थे, कालांतर में उन्होंने पूर्वी चालुक्यों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था।</li> </ul>
शतरंज में आरम्भेडन (Armageddon in chess)	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह शतरंज में अंतिम नियायिक कारक (kilnchir) है, जो क्रिकेट में सुपर ओवर या हॉकी या फुटबॉल में पेनल्टी शूट के समान होता है।</li> <li>हाल ही में, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत और रूस को संयुक्त स्वर्ण पदक विजेता घोषित किया गया है।</li> </ul>

8468022022, 9019066066  
www.visionias.in

